राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–04/2023
पिंकी कुमारी बनाम् उमा देवी उर्फ उमा कुमारी।

यह वाद श्रीमती पिंकी कुमारी, पति–श्री महेश कुमार, पता–वार्ड संख्या–04, मुहल्ला–बगलीपर, नगर परिषद् शेखपुरा, जिला–शेखपुरा द्वारा श्रीमती उमा दवी उर्फ उमा कुमारी,(वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–04, नगर परिषद् शेखपुरा) पति–श्री आनन्दी यादव, पता–ग्राम–मीर बिघा, थाना–वारसलीगंज, जिला–नवादा के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–04, नगर परिषद् शेखपुरा के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती पिंकी कुमारी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अभय नारायण चौबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती उमा देवी उर्फ उमा कुमारी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता डॉ0 अंजनी प्रसाद सिंह द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी उमा देवी उर्फ उमा कुमारी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत 03 से अधिक जीवित संतान है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा साक्ष्य स्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्राप्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारसलीगंज के जन्म पंजी का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें क्रमांक–1460 पर उमा देवी पति–आनन्दी यादव, मिर बिगहा, थाना–वारसलीगंज, नवादा, **बच्चे का विवरण– लिंग(F), दिनांक–05.12.2015, समय–02:25** P.M., **ग्रैविडा तीसरा, वजन 3500 ग्राम अंकित है।** पति–पत्नी को निरक्षर दिखाया गया है। उनके द्वारा आगे आयोग को बताया गया है कि उमा देवी और उमा कुमारी एक ही व्यक्ति है, इसके लिए उनके द्वारा अभ्यर्थी बायोडाटा में संलग्न किए गए फोटोग्राफ एवं प्रसूती–पंजी में लगाए गए फोटोग्राफ का अवलोकन आयोग को कराया गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि उमा कुमारी एवं उनके पति–आनन्दी कुमार के नाम के पार्श्व में अंकित यादव/ग्वाला शब्द की तरफ आयोग का ध्यानाकृष्ट किया गया तथा बताया गया कि प्रसूती–पंजी में पति का नाम आनन्दी यादव ही है।

आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत 03 संतान है। प्रथम दो संतानों की स्वीकारोक्ति स्वयं प्रतिवादी भी करते है। तृतीय संतान के संबंध में उनके द्वारा अपने मूल आवेदन के साथ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वारसलीगंज के जन्म पंजी में

क्रमांक–286 पर उमा देवी, पति–आनन्दी यादव, ग्राम–मीर बिगहा, पिता–तारणी प्रसाद, ग्राम–मुँगेर अंकित है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि अयोग्यता से बचने के लिए उनके द्वारा अपने तीसरे संतान का प्रसव वारसलीगंज में अपनी भगीनी रिंकू देवी के आवास पर कराया गया। उनके द्वारा आगे आयोग को बताया गया कि उमा देवी उर्फ उमा कुमारी के पिता–तारणी यादव उर्फ तारणी प्रसाद तथा इनकी माता चिन्तामनी देवी है। इनके भाई का नाम अरूण कुमार तथा इनकी भाभी का नाम प्रेमलता देवी है। ये सभी व्यक्ति शंकरपुर, मुँगेर में निवास करते है। इस सबका नाम नगर परिषद्, मँगेर के मतदाता–सूची क्रमांक–946, 947 एवं 948 पर देखा जा सकता है। उनके द्वारा यह भी अयोग को बताया गया कि उनके द्वारा साक्ष्य में दिए गए सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 से प्राप्त जन्म पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्ष्य छुपाने हेतु उनके द्वारा नाम उमा कुमारी के स्थान पर उमा देवी अंकित कराया गया एवं पिता का नाम तारणी यादव के स्थान पर तारणी प्रसाद कराया गया है, परन्तु पति का नाम आनन्दी कुमार अंकित है, जो इनके नामांकन–पत्र में भी अंकित है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके उक्त दावों का समर्थन जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराये गये, संयुक्त जाँच प्रतिवेदन से भी होती है। उनके द्वारा जिला पदाधिकारी शेखपुरा के प्रतिवेदन के प्रभावी अंशों का वाचन किया गया, जो निम्नवत् है:–

''जाँच प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि श्री आनन्दी यादव तथा श्रीमती उमा दवी एवं श्री आनन्दी कुमार तथा श्रीमती उमा कुमारी एक ही व्यक्ति हैं, और इनके एक संतान का जन्म(लड़की) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारसलीगंज में हुआ था।''

आगे उनके द्वारा संयुक्त जाँचदल के प्रभावी अंश का भी वाचन किया गया, जो निम्नवत् है:–

''बच्चे का प्रसव कराने वाली आशा कार्यकर्त्ता एवं **श्रीमती उमा देवी के रिश्तेदार श्रीमती कुन्ती देवी** के पूर्व में दिये गये बयानों को सत्यापित किया गया। आशा कार्यकर्त्ता श्रीमती संजू रानी ने अपने बयान में बताया कि वर्ष–2015 में वारसलीगंज नगर परिषद् के उत्तर बाजार के निवासी नागेश्वर राय के घर में उनके बहू के मामी प्रसव के लिये आई हुई थी।(अनुलग्नक–01) जिसका प्रसव उन्होनें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारसलीगंज में करवाया था। साथ में अपने बयान में यह बताया कि आनन्दी यादव बार–बार उनपर रजिस्टर में से नाम एवं 'फोटोग्राफ' हटा लेने के लिये दबाव भी बना रहे है।

पुनः प्रसव भुगतान पंजी के क्रमांक संख्या–286 पर अंकित नाम एवं 'फोटोग्राफ' में उनके द्वारा श्रीमती उमा देवी को पहचान कर सत्यापित किया गया है।(अनुलग्नक–02) श्रीमती कुन्ती देवी ने भी अपने पूर्व में दिये बयान को सही बताया है। (अनुलग्नक–03) उनके द्वारा अपने बयान में बताया गया है कि श्रीमती आनन्दी यादव एवं श्रीमती उमा देवी जो कि उनकी

बड़ी बहू के मामा मामी है, शेखपुरा जिला के वार्ड संख्या–04 मुहल्ला बंगाली पर के निवासी है वर्ष–2015 में अपने बच्चे के प्रसव के लिये उनके घर पर रूके थे बच्चे का(लड़की) का जन्म प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारसलीगंज में आशा कार्यकर्त्ता, संजू रानी के देख–रेख में हुआ था।

अतः उपरोक्त जाँच में श्रीमती संजू रानी एवं श्रीमती कुन्ती देवी के बयान से यह प्रतीत होता है कि श्री आनन्दी यादव तथा श्रीमती उमा देवी एवं श्री आनन्दी कुमार एवं श्रीमती उमा कुमारी एक ही व्यक्ति है और इनके एक बच्चे का जन्म (लड़की) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारसलीगंज में हुआ था।''

अंत में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि सत्यापन प्रतिवेदन से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि प्रतिवादी द्वारा तीसरे संतान दिनांक–05.12.2015 को जन्म दिया गया था तथा जन्म लेने वाली बच्ची की माता श्रीमती उमा देवी उर्फ उमा कुमारी ही है एवं इसके पिता आनन्दी यादव उर्फ आनन्दी कुमार है। इस प्रकार प्रतिवादी बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत वार्ड पार्षद के पद पर निर्वाचित होने की योग्यता धारण नहीं करती। अतः उन्हें पद से अविलम्ब हटाया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोपों का खण्डन किया गया तथा यह दावा किया गया कि प्रसूती–पंजी में अंकित किसी दूसरे व्यक्ति के तथ्यों के आधार पर उनके मुवक्किल को परेशान किया जा रहा है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उन्हें कोई तीसरा संतान नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा भी तीसरे संतान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यद्यपि वादी द्वारा दिया गया अभिलेख सत्यापित किया गया है, तथापि इसका संबंध उनसे नहीं है। उनके द्वारा प्रसूती–पंजी में अंकित पता एवं पति–पत्नी के शैक्षणिक योग्यता में भिन्नता की तरफ आयोग का ध्यानाकृष्ट किया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके सारे आरोप मनगढ़ंत एवं परिकल्पना पर आधारित है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनका संबंध मीर बिगहा से दूर–दूर तक नहीं है। नाम से मिलते–जुलते किसी दूसरे व्यक्ति के अभिलेखों में छेड़–छाड़ करते हुए, इनके द्वारा साक्ष्य को Create किया गया है। इस क्रम में उनके द्वारा आयोग को दिखाया गया कि जन्मपंजी के सिरियल क्रमांक–286 के नीचे अंकित अन्य प्रवृष्टियों में पता अधिकत्तम दो या तीन पंक्तियों में अंकित है, जबकि उमा देवी के मामले में यह 04 पंक्तियों में अंकित है, अर्थात् यह उन्हें आरोपित करने के लिए छेड़–छाड़ कर अलग से जोड़ा गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को उमा कुमारी के विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र का अवलोकन कराया गया, जिसमें उनके पिता का नाम तारणी प्रसाद यादव एवं पता शंकरपुर, मुँगेर अंकित है। उनके द्वारा आयोग के समक्ष पुनः दावा किया गया कि उनका संबंध मीर बिगहा से नहीं है। विवाहोपरांत वह मुहल्ला बंगालीपर, पो0+थाना+जिला–शेखपुरा में निवास करती है। उनके द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया कि इस बात की जाँच करायी जाये कि तथा कथित उमा

देवी को प्राप्त चेक संख्या–539817, दिनांक–07.12.2015 का भुगतान किसके खाते में हुआ है। इसके साथ उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि वादी के झुठे आरोपों हेतु इनपर बड़ा अर्थ दण्ड लगाया जाए तथा वाद को खारिज किया जाए।

प्रतिवादी के उक्त तर्कों का जवाब देते हुये, वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उमा देवी उर्फ उमा कुमारी द्वारा चालाकी से अयोग्यता से बचने हेतु तीसरे बच्चे का जन्म देने वाले स्थान पर अपने पति और अपने उपनाम में थोड़ा बदलाव कर लिया, ताकि अयोग्यता से बचा जा सके। उन्होनें वारसलीगंजी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपना नाम उमा कुमारी के नाम पर उमा देवी तथा पति के नाम के स्थान पर आनन्दी कुमार के स्थान पर आनन्दी यादव करा दिया गया है, परन्तु नामांकन–पत्र में लगे **'फोटोग्राफ्स'** एवं वारसलीगंज में लगे प्रसूता के **'फोटोग्राफ्स'** उमा देवी के हस्ताक्षर, पिता के नाम(तारणी प्रसाद), मतदाता–सूची तथा आधार संख्या से यह प्रमाणित है कि उमा देवी एवं उमा कुमारी एक ही व्यक्ति है।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–278/पं0, दिनांक–27.02.2023 एवं पत्रांक–934/पं0, दिनांक–20.07.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–

"आरोपों की सत्यता के जाँच के संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा अपने ज्ञापांक–141क/पं0, दिनांक–25.01.2023 के द्वारा प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, बरबीघा से जाँच करावाया गया। इस संबंध में प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, बरबीघा के द्वारा अपने पत्रांक–50 के दिनांक–30.01.2023 के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारसलीगंज के द्वारा निर्गत ज्ञापांक–19, दिनांक–23.01.2023 का पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारसलीगंज में निबंधन संख्या–4394 के अन्तर्गत श्रीमती उमा देवी, पति आनन्दी यादव, ग्राम–मीरबीघा, पुत्र– तारणी प्रसाद ओ0पी0डी0 रजिस्टर में दर्ज है, जिसकी सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत किया गया।

परिवाद के संबंध में प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा से भी जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–140/पं0, दिनांक–25.01.2023 द्वारा जाँच करवाई गई। प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा ने अपने पत्रांक–46, दिनांक–28.01.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उनके द्वारा नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद श्रीमती उमा कुमारी के घर पर जाँच किया गया। उमा कुमारी एवं उनके पति श्री आनन्दी कुमार द्वारा बताया गया कि उनकी दो बच्चीयाँ नेहा कुमारी एवं प्रिति कुमारी है। राशन कार्ड की माँग करने पर उनके द्वारा बताया गया कि अभी नहीं बनाये है। पड़ोसियों से पूछताछ करने के दौरान बताया गया है कि श्रीमती उमा कुमारी पति– आनन्दी कुमार के तीन बच्चे है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र लगभग सात वर्ष है।

इस संबंध में पड़ोसी अरविन्द कुमार, पिता– मुरारी प्रसाद एवं अन्य सोलह पड़ोसियों द्वारा अपना बयान दिया है कि श्रीमती उमा कुमारी नवचयनित वार्ड पार्षद की तीन पुत्री है।

परिवाद के संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा के ज्ञापांक–277/पं0, दिनांक–27.02.2023 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि श्रीमती उमा कुमारी के तीन पुत्री है, जिसमें तीसरे बच्चे का जन्म–05.12.2015 स्वास्थ्य केन्द्र, वारसलीगंज में हुआ था।'' **(पत्रांक–278/पं0, दिनांक–27.02.2023)**

''वाद संख्या–04/2023, पिंकी कुमारी बनाम् उमा देवी उर्फ उमा कुमारी का संयुक्त जाँच जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा एवं भूमि उप समाहर्त्ता, नवादा सदर, द्वारा किया गया। जाँच प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि श्री आनन्दी यादव तथा श्रीमती उमा दवी एवं श्री आनन्दी कुमार तथा श्रीमती उमा कुमारी एक ही व्यक्ति हैं, और इनके एक संतान का जन्म(लड़की) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारसलीगंज में हुआ था।'' **(पत्रांक–934/पं0, दिनांक–20.07.2024)**

6. **आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, शेखपुरा का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–**

''आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती उमा दवी उर्फ उमा कुमारी, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–04, नगर परिषद्, शेखपुरा द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–04, नगर परिषद्, शेखपुरा के पद पर निर्वाचित हो गई।

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी का दावा सही है कि प्रतिवादी श्रीमती उमा देवी उर्फ उमा कुमारी द्वारा दिनांक–05.12.2015 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारसलीगंज में तीसरे संतान को दिनांक–05.12.2015 को जन्म दिया गया है तथा अयोग्यता से बचने हेतु अपने और अपने पति के उपनामों में परिवर्तन करते हुये, नगर परिषद्, शेखपुरा के वार्ड संख्या–04 से वार्ड पार्षद के पद हेतु नामांकन–पत्र दाखिल किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से किये गये संयुक्त सत्यापन वादी द्वारा दिये गये साक्ष्य को सत्यापित पाया गया है।

प्रतिवादी का यह दावा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारसलीगंज में अंकित उमा देवी एवं नामांकन–पत्र में अंकित उमा कुमारी अलग–अलग व्यक्ति है, स्वीकार योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारसलीगंज के अभिलेखों में उमा देवी के पति का नाम आनन्दी यादव एवं पिता का नाम तारणी प्रसाद है। उमा कुमारी द्वारा नामांकन–पत्र में अपने एवं पति के नाम तथा चिपकाए गये **'फोटोग्राफ'** के पार्श्व में **''यादव (ग्वाला)''** अंकित किया गया है। इसी प्रकार संयुक्त जाँच दल द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत यह स्थापित किया गया है कि उमा देवी एवं उमा कुमारी एक ही

व्यक्ति है, जिनके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारसलीगंज में तीसरे संतान के रूप में एक बच्ची को जन्म दिया गया है। इसके अतिरिक्त नामांकन–पत्र एवं प्रसव पंजी में चिपकाए गये **'फोटोग्राफ'** की समानता तथा नामांकन–पत्र एवं प्रसव पंजी पर किये गये हस्ताक्षरों की समानता भी प्रमाणित करती है कि उमा देवी एवं उमा कुमारी एक ही व्यक्ति है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती उमा कुमारी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करती थी, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–04, नगर परिषद्, शेखपुरा के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रहीं।

इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती उमा कुमारी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–04, नगर परिषद्, शेखपुरा के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–04, नगर परिषद्, शेखपुरा का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी शेखपुरा द्वारा श्रीमती उमा कुमारी के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, शेखपुरा के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना वांछनीय है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
11.03.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
11.03.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–04/2023 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपि– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अवर सचिव

ज्ञापांक–04/2023 697 पटना, दिनांक–11.03.2025

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **शेखपुरा**/उप निर्वाचन पदाधिकारी **शेखपुरा** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी **शेखपुरा** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

11/3/25
अवर सचिव